मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

नर्मदा भवन (सी ब्लॉक–द्वितीय तल) 59–अरेरा हिल्स, भोपाल–462011

क्र. 5457/MGNREGS-MP/NR-6/2010 भोपाल, दिनांक 28/05/2010

प्रति,

कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक
जिला – .... म. प्र. (समस्त 50 जिलें)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक
जिला पंचायत – .... म. प्र. (समस्त 50 जिलें)

विषयः– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्यो का सामाजिक अंकेक्षण।

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अंतर्गत किए जा रहे कार्यो का सामाजिक अंकेक्षण 6 माह में एक बार किए जाने का प्रावधान है। अतः 30 जून से 10 जुलाई के मध्य अभियान स्तर पर समस्त ग्रामसभाओं में किया जाना है। इस हेतु भारत शासन की अधिसूचना क्रमांक – 1827 दिनांक 31.12.08 निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे, जिसके प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार है :–

1. सामाजिक अंकेक्षण कार्य हेतु कैलेण्डर का निर्माण एवं कार्यक्रम का वेबसाईट पर प्रकाशन किया जाए। अतः कैलेण्डर का प्रकाशन कार्य 31 जून 2010 तक अनिवार्यतः भारत सरकार की वेबसाईट पर प्रकाशित कर दिया जाए।
2. सामाजिक अंकेक्षण कार्य की 30 दिवस पूर्व उद्घोषणा की जाए।
3. प्रत्येक सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम के लिए अधिनियम अंतर्गत कार्य करने वालों की सामाजिक संपरीक्षा समिति का ग्रामसभा द्वारा गठन किया जाए, जिसमें एक तिहाई से अधिक महिलाओं शामिल हो।
4. ग्राम पंचायत अंतर्गत कार्यो का विवरण, नस्तियां इत्यादि निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए।
5. ग्राम पंचायत के माध्यम से सामाजिक अंकेक्षण से 15 दिन पूर्व समस्त आवश्यक अभिलेखों की फोटो प्रतियां सामाजिक संपरीक्षा समिति को उपलब्ध करा दी जाए।
6. सामाजिक संपरीक्षा समिति से समस्त अभिलेखों/सूचनाओं का सत्यापन और किसी भी व्यक्ति द्वारा कार्यो के संबंध में समिति को जानकारी देने की व्यवस्था की जाए।
7. जनप्रतिनिधियों और MGNREGA से संबंधित शासकीय सेवकों को लिखित में अग्रिम रूप से सूचित किया जाए ताकि वे भी सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में भाग ले सके।

8. सामाजिक संपरीक्षा समिति द्वारा प्रतिवेदन का ग्रामसभा में वाचन हो इसके साथ ही ग्राम पंचायत और शासकीय अधिकारियों से आमजन द्वारा सूचना और जानकारी प्राप्त करने की व्यवस्था की जाए।
9. पूर्व में हुए सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदन के वाचन की व्यवस्था की जाए।
10. सामाजिक अंकेक्षण का कार्यवाही विवरण का अभिलेखन सचिव द्वारा कराया जाए और अंकेक्षण के पूर्व और उपरांत ग्रामसभा के प्रतिभागियों से हस्ताक्षरित कराने की व्यवस्था की जाए।
11. सामाजिक अंकेक्षण कार्य में प्रेक्षक के रूप में आमजन के भाग लेने की व्यवस्थाऐं की जाए।
12. सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदन पर 30 दिवस के भीतर कार्यवाही की व्यवस्था की जाए।
13. अधिनियम के विपरीत कार्यो की जानकारी को शिकायत माना जाएगा और उसकी जांच कराकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के प्रावधान किए जाऐं।
14. निधि में गड़बड़ी शिकायतों पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही और वसूली की जाए।
15. शासकीय अंकेक्षक द्वारा सामाजिक अंकेक्षण कार्य में वित्तीय गड़बड़ियों अथवा दुरूपयोग के संबंध में प्राप्त जानकारियों पर विचार की व्यवस्था की जाए।
16. अधिनियम/स्कीम से संबंधित अभिलेख जानकारी आमजन की संवीक्षा के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराने जाने की व्यवस्था करना और मांग किए जाने पर अधिनियम/स्कीम के प्रावधानों अनुसार फीस प्राप्त कर 3 दिवस के भीतर प्रदाय की व्यवस्था की जाए।
17. जिला स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण प्रकोष्ठ का गठन जिसके सदस्यों में प्रभारी अधिकारी सामाजिक अंकेक्षण, पंचायत, वित्त, एम.आई.एस. और मीडिया को शामिल किया जाए।
18. जनपद पंचायत स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ का गठन किया जाए।
19. ग्राम सभाओं के आयोजन के लिए ग्राम पंचायतवार नोडल अधिकारी की नियुक्ति किए जाए।
20. नोडल अधिकारी को सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम की जानकारी हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाए। प्रशिक्षित नोडल अधिकारियों द्वारा उनके क्षेत्रांतर्गत गठित संपरीक्षा समिति के सदस्यों को सामाजिक अंकेक्षण के महत्व एवं उसकी प्रक्रिया के संबंध में जानकारी के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए।
21. सामाजिक अंकेक्षण में प्रस्तुत/निरीक्षण के लिए सत्यापित दस्तावेजों की उपलब्धता की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
22. ऐसे समस्त कार्य जिनका क्रियान्वयन माह अगस्त 2009 से माह जून 2010 तक किया गया है, उन्हें सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में अनिवार्यतः शामिल किया जाए।

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

नर्मदा भवन (सी ब्लॉक–द्वितीय तल) 59–अरेरा हिल्स, भोपाल–462011

23. ऐसी ग्राम पंचायतें, जिन्होंने माह अगस्त 2009 से माह जून 2010 तक 10 लाख से अधिक की राशि के निर्माण कार्य किए है, उनमें सामाजिक अंकेक्षण कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी कराई जाए।
24. ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रचलित कार्यो के संबंध में समस्त स्तर पर प्राप्त शिकायतें भी संबंधित ग्रामसभा के समक्ष प्रस्तुत की जावेंगी। ग्रामसभा के द्वारा ही शिकायतों के निराकरण की कार्यवाही की जावेंगी।
25. ग्रामसभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण की कार्यवाही भारत सरकार की वेबसाईट पर उपलब्ध पत्रक अनुसार संकलित की जाएगी।
26. ग्राम सभा में सामाजिक अंकेक्षण कार्य के दौरान एम.आई.एस. प्रतिवेदनों का वाचन किया जाए। ताकि समुदाय को एम.आई.एस. प्रतिवेदनों के परीक्षण और सत्यापन का अवसर प्राप्त हो।
27. सामाजिक अंकेक्षण कार्रवाई के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र वेबसाईट www.nrega.nic.in पर उपलब्ध है। इस प्रपत्र का हिन्दी अनुवाद पत्र के साथ संलग्न है। अनुवाद की व्याख्या में किसी प्रकार के अंतर की स्थिति में भारत सरकार के मूल निर्धारित प्रपत्र को ही मान्यता दी जाए।
28. निर्धारित प्रपत्र अनुसार ग्रामसभा की कार्रवाई का प्रभावी संचालन हो, इसके लिए स्थानीय बोली में सामाजिक अंकेक्षण की कार्रवाई का संचालन किया जाए।
29. सामाजिक अंकेक्षण कार्य से संबंधित प्रशासकीय व्यवस्थाओं के लिए पत्र क्रमांक 9917/एनआरईजीएस–एम.पी./एनआर–5/09 भोपाल, दिनांक 03/08/2009 के अनुसार कार्रवाई की जाए।
30. विडियोग्राफी से संबंधित निर्देशों का पालन किया जाए। इसके लिए पत्र क्रमांक 12775/एनआरईजीए–एमपी/एनआर–6/09 भोपाल, दिनांक 5/10/2009 के अनुसार कार्रवाई की जाए।

उपरोक्त कार्यो के संचालन के मार्गदर्शन के रूप में समय–सारणी उपलब्ध है एवं पूर्व जारी संलग्न निर्देशों का पालन किया जाए।

कृपया उपरोक्तानुसार निर्धारित समयावधि में समस्त ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण की कार्यवाही सुनिश्चित करे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

25/8/10

(शिव शेखर शुक्ला)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

समय सारणी

क्र.	कार्य	समय सीमा	काल्पनिक तिथि
1.	जिलें की प्रत्येक ग्राम पंचायत अंतर्गत ग्रामसभाओं के आयोजन का कैलेण्डर निर्माण	**29 मई 2010**	विशेष ग्रामसभाओं की अवधि का कैलेण्डर बनाया जाना है।
2.	जिलें की प्रत्येक ग्राम पंचायत अंतर्गत ग्रामसभाओं के आयोजन का कैलेण्डर का वेबसाईट पर प्रकाशन (कैलेण्डर में तिथियां ग्रामसभा के आयोजन की तिथि से 30 दिवस पूर्व की होना अनिवार्य है। अतः 30 जून से 10 जुलाई के मध्य ग्रामसभा का आयोजन का कार्यक्रम बनाया जाए।)	**31 मई 2010**	कैलेण्डर की प्रस्तावित तिथियां
3.	सामाजिक अंकेक्षण के लिए ग्रामसभाओं के आयोजन कार्यक्रम की अधिसूचना	**आयोजन तिथि से 30 दिवस पूर्व**	31 मई से 10 जून
4.	सामाजिक संपरीक्षा समिति गठन हेतु ग्रामसभाओं का आयोजन	**आयोजन तिथि से 21 दिवस पूर्व**	9 जून से 19 जून
5.	प्रशिक्षित नोडल अधिकारियों द्वारा गठित संपरीक्षा समिति के सदस्यों को सामाजिक अंकेक्षण के महत्व के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन	**समिति गठन के तत्काल 2 दिवस उपरांत**	19 जून से 22 जून
6.	सामाजिक संपरीक्षा समिति गठन हेतु ग्रामसभा के आयोजन की अधिसूचना	**आयोजन तिथि से 28 दिवस पूर्व**	2 जून से 12 जून
7.	सामाजिक अंकेक्षण कार्य के लिए सामाजिक संपरीक्षा समिति का गठन	**आयोजन तिथि से 21 दिवस पूर्व**	9 जून से 19 जून
8.	आमजन के निरीक्षण हेतु ग्राम पंचायत अंतर्गत कार्यो की नस्ति एवं अन्य अभिलेखों की प्रतिलिपियां उपलब्ध कराना।	**आयोजन तिथि से 21 दिवस पूर्व**	9 जून से 19 जून
9.	सामाजिक अंकेक्षण कार्य संपरीक्षा समिति को ग्राम पंचायत अंतर्गत कार्यो की नस्ति एवं अन्य अभिलेखों की प्रतिलिपियां उपलब्ध कराना।	**आयोजन तिथि से 15 दिवस पूर्व**	15 जून से 25 जून
10.	जनप्रतिनिधियों एवं शासकीय अधिकारियों को लिखित में सूचित करना	**आयोजन तिथि से 21 दिवस पूर्व**	9 जून से 19 जून
11.	सामाजिक अंकेंक्षण प्रतिवेदनों का संकलन (कार्यालय–कार्यक्रम अधिकारी)	**आयोजन तिथि से 3 दिवस उपरांत तक**	3 जुलाई से 13 जुलाई
12.	ग्रामसभा के सामाजिक अंकेक्षणों प्रतिवेदनों का ग्राम पंचायतवार संकलन कर जिला समन्वयक कार्यालय में भेजना (कार्यालय – कार्यक्रम अधिकारी)	**आयोजन तिथि से 5 दिवस उपरांत तक**	6 जुलाई से 15 जुलाई
13.	कार्यक्रम समन्वयक द्वारा प्राप्त प्रतिवेदनों का संकलन कर भारत सरकार को भेजना	**आयोजन तिथि से 10 दिवस उपरांत तक**	10 जुलाई से 20 जुलाई
14.	सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर कार्यवाही	**आयोजन तिथि से 30 दिवस उपरांत तक**	30 जुलाई से 10 अगस्त